(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2015

अधिसूचना

फा.सं. 16/1/2015-पी.आर. – भारत सरकार ने विशेषरूप से गरीबों तथा वंचितों के लिए निर्धारित पेंशन प्रणाली उपलब्ध कराने के संबंध में बजट घोषणा 2015-16 को कार्यान्वित करने के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) आरंभ की है।

1. अटल पेंशन योजना मुख्यतः असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों, जो पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल होते हैं, पर केंद्रित है। तथापि, पात्र श्रेणी के देश के सभी नागरिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत, अभिदाता अपने अंशदान, जो एपीवाई में शामिल होने की आयु के अनुसार अलग-अलग है, के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1000 रूपये प्रति माह, 2000 रूपये प्रति माह, 3000 रूपये प्रति माह, 4000 रूपये प्रति माह, 5000 रूपये प्रति माह का गारंटीयुक्त पेंशन प्राप्त करेंगे। एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अतः एपीवाई के अंतर्गत किसी अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या अधिक होगी। एपीवाई को 01 जून, 2015 से लागू किया गया है।

2. एपीवाई के लाभ

2.1 यदि अभिदाता 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के भीतर इस योजना में शामिल होता है तथा अंशदान करता है तो उसे 1000 रूपये से 5000 रूपये के बीच में गारंटीयुक्त न्यूनतम पेंशन मिलेगी। अंशदान का स्तर अलग-अलग होगा तथा यदि अभिदाता कम उम्र में इस योजना में शामिल होता है तो अंशदान कम होगा तथा यदि वह अधिक उम्र में शामिल होता है तो अंशदान की राशि बढ़ जाएगी।

2.2 अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार इस अर्थ में देगी कि यदि अंशदान की अवधि में पेंशन अंशदान पर वास्तविक प्रतिफल न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन में अनुमानित प्रतिफल से कम रहता है तो सरकार द्वारा ऐसी कमी के लिए निधियां उपलब्ध कराई

जाएंगी। दूसरी ओर, यदि अंशदान अवधि में पेंशन अंशदान पर वास्तविक प्रतिफल न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन के अनुमानित प्रतिफल से अधिक रहता है, तो उक्त अधिक राशि अभिदाता के खाते में जमा की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप अभिदाताओं को योजना से अधिक लाभ प्राप्त होगा। सरकार पात्र अभिदाताओं के लिए कुल अंशदान का 50% या 1000 रूपये प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, का अंशदान करेगी।

2.3 एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए यथा प्रयोज्य लाभ प्राप्त होगा, जिसके लिए आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक अलग अधिसूचना जारी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

3. एपीवाई की पात्रता

3.1 अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी बैंक खाताधारकों के लिए है। केन्द्र सरकार ऐसे प्रत्येक पात्र अभिदाता के खाते में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल अंशदान का 50% या प्रति वर्ष 1000/- रूपये, जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी जो 31 दिसम्बर, 2015 से पूर्व एपीवाई में शामिल होते हैं और जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं तथा जो आय कर दाता नहीं हैं। इस तिथि के बाद योजना चलती रहेगी लेकिन सरकार का सह-अंशदान उपलब्ध नहीं होगा। तथापि, सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के आयकर देने वाले सदस्य भी एपीवाई में शामिल हो सकते हैं और न्यूनतम गारंटीयुक्त मासिक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, परंतु उन्हें सरकार से सह-अंशदान प्राप्त नहीं होगा। संभावित अभिदाता अपने नाम से केवल एक एपीवाई खाता खोल सकता है। अत: एक ही लाभार्थी के नाम से कई खाते खोलने की अनुमति नहीं है।

3.2 सरकार का सह-अंशदान वर्ष के लिए अभिदाता द्वारा सम्पूर्ण अंशदान किये जाने पर वित्तीय वर्ष के अंत में अभिदाता के बचत खाते में देय होगा और इस सह-अंशदान का अंतरण बैंक द्वारा एपीवाई खाते में किया जायेगा।

4. शामिल होने की आयु तथा अंशदान अवधि

एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष है। योजना को छोड़ने तथा पेंशन प्रारंभ होने की आयु 60 वर्ष होगी। इस प्रकार, एपीवाई के अंतर्गत अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष होगी।

5. नामांकन तथा अभिदाता भुगतान

पात्र श्रेणी के अंतर्गत स्वत: नामे सुविधा वाले बैंक के सभी खाताधारक एक पृष्ठ का सरल फार्म भर के एपीवाई में शामिल हो सकते हैं। इससे अंशदान संग्रहण प्रभारों में कमी आयेगी। देरी से भुगतान हेतु दंड से बचने के लिए अभिदाताओं को विनिर्धारित देय तिथियों पर उनके बचत खातों में अपेक्षित शेष राशि रखनी चाहिए। साथ ही, योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उसकी पात्रता के बारे में किसी गलत घोषणा, भले ही किसी कारण से हो, करने पर सरकार के समग्र अंशदान को खाते की सेवा/रख-रखाव लागत सहित जब्त कर लिया जाएगा। नामांकन हेतु दीर्घावधि में पेंशन अधिकारों तथा पात्रता संबंधित विवादों से बचने के लिए लाभार्थियों, पति-पत्नी तथा नामितियों की पहचान हेतु आधार अनुशंसित मूलभूत केवाईसी दस्तावेज होगा। तथापि, नामांकन के समय यह अनिवार्य नहीं होगा। अभिदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 1000 रूपये से 5000 रूपये तक मासिक पेंशन हेतु विकल्प दें तथा नियमित रूप से विनिर्धारित मासिक अंशदान का भुगतान सुनिश्चित करें। संचय चरण के दौरान अभिदाता उपलब्ध मासिक पेंशन राशियों के अनुरूप पेंशन को घटाने अथवा बढ़ाने का विकल्प दे सकते हैं। तथापि, परिवर्तन (स्विचिंग) विकल्प वर्ष में केवल 1 बार, अप्रैल माह में, प्रदान किया जाएगा। एपीवाई से जुडने के उपरांत प्रत्येक अभिदाता को पावती पर्ची प्रदान की जाएगी, जिसमें गारंटीयुक्त पेंशन राशि, अंशदान के भुगतान की देय तिथि, स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) इत्यादि अनिवार्य रूप से रिकार्ड किया जाएगा।

6. नामांकन एजेंसियां

अभिदाताओं के नामांकन के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ढांचे के माध्यम से स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत सभी प्वाइंट्स ऑफ प्रजेंस (सेवा प्रदाता) तथा एग्रीगेटर का उपयोग किया जाएगा। बैंक पीओपी अथवा एग्रीग्रेटरों के रूप में अभिदाताओं को जुटाने के लिए सुविधाकर्ता के रूप में व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी)/वियमान गैर-बैंकिंग एग्रीग्रेटरों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) की सेवाएं ले सकते हैं। बाद में सीबीएस प्लेटफार्म के अंतर्गत आने वाले डाकघरों को एपीवाई सेवा प्रदाताओं के रूप में माना जा सकता है। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाता खाते को आकर्षित करने के लिए बैंक/डाकघरों आदि को एपीवाई के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता खाते को एकत्र करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, बैंक सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन राशि का वितरण बीसी/एमएफआई/गैर बैंक एग्रीगेटर्स के बीच सरकार के परामर्श से समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित अनुपात में करेगा। बैंक आदि/डाकघरों को बाद के वर्षों में निरंतरता के लिए प्रति अभिदाता प्रोत्साहन अदा किया जाएगा, जिसका निर्धारण तथा संशोधन पीएफआरडीए द्वारा बैंकों आदि/डाकघरों को पर्याप्त पूर्व सूचना देते हुए सरकार के परामर्श से किया जाएगा।

7. एपीवाई का संचालन ढांचा

7.1 यह भारत सरकार की योजना है जिसका संचालन पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं के नामांकन के लिए एनपीएस के संस्थागत ढांचे का उपयोग किया जाएगा।

7.2 राज्य सरकारें भी अभिदाता को योजना में शामिल होने तथा अपनी वृद्धावस्था सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अपने अंतर्गत आने वाले कार्यकर्त्ताओं जैसे आंगनबाड़ी, निर्माण श्रमिकों आदि के लिए एपीवाई के अंतर्गत सह अंशदान कर सकती हैं। राज्य द्वारा सह-अंशदान की गई अतिरिक्त राशि का निवेश किया जाएगा और इसे अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के अंतर्गत रखा जाएगा और यह राशि योजना से बाहर निकलने के समय तक अभिदाता की अतिरिक्त सम्पत्ति रहेगी। यह अतिरिक्त राशि अभिदाता को बढ़े हुए पेंशन लाभ के रूप में 60 वर्ष की आयु में योजना से बाहर निकलने के समय दी जा सकती है। राज्य सरकार के सह अंशदान को एपीवाई योजना के अंतर्गत किए गए अंशदान में सांकेतिक सह-अंशदान माना जाएगा।

8. एपीवाई का निधियन

सरकार एपीवाई के लिए निम्नलिखित निधियन सहायता उपलब्ध कराएगीः

(i) अभिदाताओं के लिए न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन;

(ii) पात्र अभिदाताओं के लिए अभिदाता अंशदान का 50% अथवा 1000 रूपये प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, का सह-अंशदान; तथा

(iii) एपीवाई में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु अंशदान संग्रहण एजेंसियों को प्रोत्साहन सहित संवर्धनात्मक एवं विकास गतिविधियों की प्रतिपूर्ति भी प्रदान करेगी।

9. स्वावलम्बन योजना के विद्यमान अभिदाताओं का एपीवाई में स्थानांतरण

9.1 स्वावलम्बन के विद्यमान अभिदाता, यदि पात्र हो, तो योजना छोड़ने का विकल्प देने पर उन्हें स्वतः ही एपीवाई में स्थानांतरित किया जा सकता है। नई योजना में झंझट रहित स्थानांतरण हेतु संबद्ध एग्रीग्रेटर ऐसे अभिदाताओं की स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अपने स्वावलम्बन खाते को एपीवाई में शिफ्ट करने हेतु ऐसे अभिदाता अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) विवरणों के साथ नजदीकी प्राधिकृत बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। तथापि, सभी अभिदाताओं हेतु एपीवाई के अंतर्गत सरकार के सह-अंशदान का लाभ 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि स्वावलम्बन लाभार्थी के रूप में उसने सरकारी सह-अंशदान का 1 वर्ष का लाभ प्राप्त कर लिया है तो एपीवाई के अंतर्गत उसे सरकारी सह-अंशदान का लाभ केवल 4 वर्षों के लिए मिलेगा, इत्यादि। विद्यमान स्वावलम्बन लाभार्थी जो

एपीवाई छोड़ने के विकल्प का चयन करते हैं उन्हें पात्र होने पर सरकारी सह-अंशदान 2016-17 तक दिया जाएगा, तथा एनपीएस स्वावलम्बन खाता तब बना रहेगा जब तक ऐसे लोग योजना के अंतर्गत उसे छोड़ने की आयु अर्थात् 60 वर्ष पूरी न कर लें।

9.2 18-40 वर्ष की आयु के बीच के स्वावलम्बन के वे विद्यमान अभिदाता जो एपीवाई में स्थानांतरित हो जाते हैं, का संचित कॉर्पस उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के अंतर्गत रखा जाएगा और निकासी के समय तक अभिदाता की अतिरिक्त संपत्ति बना रहेगा। इस अतिरिक्त राशि को अभिदाता को बढ़ी हुई पेंशन लाभ अथवा एक मुश्त आहरण के रूप में दिया जाएगा। वे स्वावलम्बन अभिदाता जो कि 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं और योजना को बरकरार नहीं रखना चाहते हैं, एक मुश्त रूप में समग्र राशि का आहरण कर सकते हैं अथवा उसके अंतर्गत वार्षिकियों हेतु पात्र बनने के लिए 60 वर्षों तक चालू रखने के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

10. देरी से किए गए अभिदानों हेतु अतिदेय ब्याज

10.1 एपीवाई के अंतर्गत, व्यक्तिगत अभिदाताओं के पास मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक आधार पर अंशदान देने का विकल्प होगा। देर से हुए भुगतानों के लिए बैंकों को अतिरिक्त राशि संग्रह करना अपेक्षित होता है। देरी से किए गए अभिदानों हेतु अतिदेय ब्याज को निम्नानुसार दर्शाया गया हैः

<u>देरी से किए गए अभिदानों हेतु अतिदेय ब्याज</u>

देरी से किए गए प्रत्येक मासिक 100 रूपये अथवा उसके भाग हेतु अंशदान के भुगतान के लिए 1 रूपये प्रतिमाह।

त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक अंशदान के तरीके हेतु देर से किए गए अभदान के अतिदेय ब्याज की वसूली तदनुसार की जाएगी। अतिदेय ब्याज की संग्रहीत राशि अभिदाता के पेंशन कारपस का भाग बनी रहेगी।

10.2 अंशदान राशि के भुगतान को अवरुद्ध करना

जब अभिदाता के खाते में खाता रखरखाव प्रभार तथा शुल्क की कटौती के कारण खाता शेष शून्य हो जाता है तो खाते को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। उन अभिदाताओं के लिए, जिन्होंने सरकार के अंशदान की सुविधा ली है, खाते को तब शून्य माना जाएगा जब अभिदाता कॉर्पस में से सरकारी अंशदान को घटाने पर वह खाता रखरखाव प्रभार एवं शुल्क के बराबर हो जाएगा तथा इस प्रकार निवल कार्पस शून्य हो जाता है। इस मामले में सरकार का अंशदान सरकार को वापस कर दिया जाएगा। जब खाता शेष शून्य नहीं है तथा अभिदाता अंशदान राशि के भुगतान को अवरुद्ध करना चाहता है तथा अपने खाते को बंद करने के विकल्प का चयन करता है तो योजना छोड़ने के

प्रावधानों के अनुरूप राशिलौटा दी जाएगी। तथापि, जब तक खाता शेष गैर-शून्य है, देरी से किए गए अंशदानों में बकाया अंशदानों के साथ अतिदेय ब्याज जैसा कि पैरा 10.1 और पैरा 11 में दर्शाया गया है, का भुगतान करके अभिदाता अपने खाते में अंशदान दे सकता है। विभिन्न एनपीएस मध्यवर्तियों के लिए खाता रखरखाव प्रभार और शुल्क निम्नानुसार होंगेः

एपीवाई के सभी प्रभारों और शुल्कों की तालिकाः

मध्यवर्ती	**प्रभार शीर्ष**	**सेवा प्रभार**	**संग्रहण का तरीका**
उपस्थिति बिन्दु	(i) प्रारंभिक अभिदाता पंजीकरण (ii) तदनंतर बनाए रखना	अभिदाताओं की संख्या के आधार पर 120/- रुपए से 150/- रुपए 100/- रुपए प्रतिवर्ष प्रति अभिदाता	स्वावलंबन के पैटर्न पर सरकार द्वारा एपीवाई हेतु प्रोत्साहन, संवर्द्धन तथा विकास प्रभारों का भुगतान
सेन्ट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेन्सियां	(i) खाता खोलने के प्रभार (ii) खाता रखरखाव प्रभार	15/- रुपए प्रति खाता प्रतिवर्ष 40/- रुपए प्रति खाता प्रतिवर्ष	यूनिटों को रद्द करना
पेंशन निधि प्रबंधक	निवेश प्रबंधन शुल्क	एयूएम का 0.0102% प्रतिवर्ष	निवल आस्ति लागत में समायोजित
अभिरक्षक	निवेश प्रबंधन शुल्क	एयूएम के इलेक्ट्रॉनिक भाग हेतु 0.0075% तथा भौतिक भाग हेतु 0.05% प्रतिवर्ष	निवल आस्ति लागत में समायोजित

11. देरी से किए गए भुगतानों के संबंध में अंशदान की वसूली

11.1 एपीवाई माड्यूल में देय तिथि पर मांग होगी तथा अभिदाता के बचत बैंक खाते से राशि वसूल हो जाने तक मांग बनी रहेगी।

11.2 कैलेण्डर माह के दौरान प्रत्येक अभिदाता हेतु मासिक/तिमाही/अर्द्धवार्षिक अंशदान की वसूली हेतु देय तिथि को कोई भी दिन अथवा तिमाही के लिए पहला कैलेण्डर माह अथवा अर्द्धवार्षिक हेतु पहले कैलेण्डर माह के अंतिम दिन तक माना जाएगा। इसका अर्थ यह होगा कि माह/तिमाही के प्रथम कैलेण्डर माह के दौरान/अर्द्ध वर्ष हेतु पहले कैलेण्डर माह के दौरान किसी भी दिन अंशदान को, जब कभी भी निधियां उपलब्ध होंगी, वसूल किया जाएगा।

11.3 मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक अंशदान राशि की वसूली क्रय क्रम मूल्यन (फर्स्ट इन - फर्स्ट आउट) आधार पर की जाएगी - उक्त प्रभारों की निर्धारित राशि के साथ ही सबसे पहले देय किश्त की वसूली की जाएगी।

11.4 निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन एक से अधिक मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक अंशदान की वसूली की जा सकती है। सभी मामलों में, अंशदान को प्रभारों के साथ वसूल किया जाएगा। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। खाते में निधियां उपलब्ध होते ही देय राशि की वसूली कर ली जाएगी।

12. एपीवाई के अंतर्गत अंशदानों का निवेश

एपीवाई के अंतर्गत संग्रहित राशि का प्रबंधन सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निवेश पैटर्न के अनुसार पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त पेंशन निधियों द्वारा किया जाएगा। अभिदाता के पास निवेश पैटर्न अथवा पेंशन निधि किसी को भी चुनने का कोई विकल्प नहीं है।

13. अभिदाताओं को सतत सूचना एलर्ट

13.1 एपीवाई अभिदाताओं को उनके खाते में शेष राशि, अंशदान जमा इत्यादि के संबंध में आवधिक सूचना एसएमएस एलर्ट के माध्यम से दी जाएगी। अभिदाताओं को जब कभी अपेक्षित हो गैर-वित्तीय विवरण जैसे नामिती का नाम, पता, टेलीफोन संख्या इत्यादि को बदलने का विकल्प है।

13.2 एपीवाई के अंतर्गत सभी अभिदाता अपने मोबाइल से जुड़े रहते हैं ताकि उनका अभिदान करते समय, उनके खातों से ऑटो डेबिट करने तथा उनके खातों की शेष राशि के एसएमएस एलर्ट उपलब्ध कराए जा सकें।

14. योजना का त्याग तथा पेंशन भुगतान

14.1 60 वर्ष पूरा करने के उपरांत अभिदाता गारंटीयुक्त मासिक पेंशन अथवा अधिक मासिक पेंशन, यदि निवेश प्रतिफल एपीवाई में निहित गारंटीयुक्त प्रतिफलों से अधिक है, को आहरित करने हेतु संबद्ध बैंक को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अभिदाता की मृत्यु होने पर मासिक पेंशन राशि के समान राशि पति/पत्नी (स्वतः नामिती) को देय होगी। अभिदाता तथा उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर नामिती, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक संचित पेंशन निधि की प्राप्ति हेतु पात्र होगा।

14.2 60 वर्ष की आयु से पहले योजना को छोड़ने की अनुमति नहीं है, तथापि, उसकी अनुमति केवल अपवादिक परिस्थितियों, अर्थात् लाभार्थी की मृत्यु अथवा लाइलाज बीमारी होने पर दी जाएगी।

14.3 उपर्युक्त 14.2 में वर्णित शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई अभिदाता, जिसने एपीवाई के अंतर्गत सरकार के सह-अंशदान की सुविधा प्राप्त की है, किसी आगामी तिथि पर एपीवाई को स्वैच्छिक रूप से त्याग करने का चयन करता है, तो उसे उसके द्वारा एपीवाई में किए गए अंशदान के साथ अंशदानों पर अर्जित निवल वास्तविक ब्याज (खाता रखरखाव प्रभारों की कटौती के उपरांत) लौटाया जाएगा, जबकि सरकार का सह-अंशदान, तथा सरकार के सह-अंशदान पर अर्जित ब्याज को ऐसे अभिदाताओं को नहीं लौटाया जाएगा।

15. शामिल होने की आयु, अंशदान स्तर, निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामिति को कारपस राशि लौटाना

अंशदान स्तर, अभिदाताओं तथा उसके पति/पत्नी को निर्धारित मासिक पेंशन तथा अभिदाताओं के नामितियों को कॉर्पस राशि लौटाना तथा अंशदान अवधि संबंधी तालिका अनुबन्ध-1 में दी गई है। उदाहरणार्थ, यदि अभिदाता 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1000 रूपये प्रतिमाह तथा 5000 रूपये के बीच की निर्धारित मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए 42 तथा 210 रूपये के बीच, मासिक आधार पर अंशदान करना होगा। उसी निर्धारित पेंशन स्तरों के लिए, यदि अभिदाता 40 वर्ष की आयु में शामिल होता है, तो अंशदान 291 रूपये तथा 1454 रूपए के बीच होगा।

(डॉ. शशांक सक्सेना)
आर्थिक सलाहकार

अनुबंध-1

एपीवाई के अंतर्गत अलग-अलग आयु में शामिल होने पर अलग-अलग न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन राशि के लिए मासिक, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक अंशदान तथा नामिति को कॉर्पस राशि वापस करना

		1000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन			2000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन			3000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन			4000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन			5000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन		
नामिति के कॉर्पस राशि की वापसी		1.7 लाख रुपए			3.4 लाख रुपए			5.1 लाख रुपए			6.8 लाख रुपए			8.5 लाख रुपए		
शामिल होने के समय आयु	निर्देश अवधि	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्धवार्षिक अंशदान
18	42	42	127	256	84	254	512	126	381	769	168	507	1025	210	634	1281
19	41	46	139	281	92	278	561	138	417	842	183	553	1116	228	689	1391
20	40	50	151	305	100	302	610	150	453	915	198	598	1208	248	749	1513
21	39	54	163	329	108	326	659	162	489	988	215	649	1312	269	812	1641
22	38	59	178	360	117	353	714	177	535	1080	234	707	1428	292	882	1781
23	37	64	193	390	127	384	775	192	580	1171	254	767	1550	318	960	1940
24	36	70	211	427	139	420	848	208	628	1269	277	837	1690	346	1045	2111
25	35	76	230	464	151	456	921	226	683	1379	301	909	1836	376	1136	2294
26	34	82	248	500	164	495	1001	246	743	1501	327	988	1995	409	1235	2495
27	33	90	272	549	178	538	1086	268	809	1635	356	1075	2172	446	1347	2721
28	32	97	293	592	194	586	1184	292	882	1781	388	1172	2367	485	1465	2959
29	31	106	320	647	212	640	1293	318	960	1940	423	1277	2581	529	1598	3227
30	30	116	350	708	231	698	1409	347	1048	2117	462	1395	2819	577	1743	3520
31	29	126	381	769	252	761	1537	379	1145	2312	504	1522	3075	630	1903	3844
32	28	138	417	842	276	834	1684	414	1250	2526	551	1664	3362	689	2081	4204
33	27	151	456	921	302	912	1842	453	1368	2764	602	1818	3673	752	2271	4588
34	26	165	498	1007	330	997	2013	495	1495	3020	659	1990	4020	824	2489	5027
35	25	181	547	1104	362	1093	2209	543	1640	3313	722	2180	4405	902	2724	5503
36	24	198	598	1208	396	1196	2416	594	1794	3624	792	2392	4832	990	2990	6040
37	23	218	658	1330	436	1317	2660	654	1975	3990	870	2627	5308	1087	3283	6632
38	22	240	725	1464	480	1450	2928	720	2174	4393	957	2890	5839	1196	3612	7297
39	21	264	797	1611	528	1595	3221	792	2392	4832	1054	3183	6430	1318	3980	8041
40	20	291	879	1775	582	1758	3551	873	2636	5326	1164	3515	7101	1454	4391	8871